



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223163
CG-DL-E-18112020-223163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3632]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2020/कार्तिक 26, 1942

No. 3632]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020/KARTIKA 26, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

का.आ. 4133(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
574	715के	असम राज्य में जोरहाट के निकट रारा-715 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और कमलाबाड़ी घाट (माजौली) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 4024 (अ), दिनांकित 6 नवंबर 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/12/2020-पी एंड एम (पार्ट-2)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2020

S.O. 4133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
574	715K	The highway starting from its junction with NH-715 near Jorhat and terminating at Kamalabari Ghat (Majuli) in the State of Assam

Footnote:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4024(E) dated 6th November, 2020.

[F. No. NH-14012/12/2020-P&M (Part-2)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.